संख्या–668 / XVI / 05 / 7(33) / 05

प्रेषक,

मनीषा पंवार
अपर सचिव
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
रेशम
प्रेमनगर,देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22जून,2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–517 / रेशम / तक0 अनु0 / बजट / 2005–06 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के कियान्वयन हेतु अवचनबद्ध मदों में रूपये–16811हजार(रूपये एक करोड़ अड़सठ लाख ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार आपके निर्वतन / आवंटन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–527–A / XXVII(1) / 2005 / दिनांक 26,अप्रैल 2005 में दिये गये निर्देशो, शासन से समय–समय पर निर्गत आदेशों / निर्देशों तथा बजट मैनुअल के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया(स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5– निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक के आगणन / पुर्नरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– लघु निर्माण कार्य व अन्य निर्माण कार्यो तथा अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दरों के आधार पर ही आगणन गठित करते हुए कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

9– धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके केवल आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

10– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/ व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जावेगा।

11– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसले कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास के अन्तर्गत संलग्न विवरण में अंकित सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–301/वित्त अनु0–2/2005/दिनांक 15–6–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव

संख्या–668/XVI/05/7(33)/05/तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,देहरादून।
2–वित्त अनुभाग–2,उत्तरांचल शासन।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/गोपेश्वर(चमोली)/नैनीताल।
4–बजट,राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तरांचल।
5–गार्ड फाईल।
6–राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या–668 / XVI / 05 / 7(33) / 05 / दिनांक 22/6/05 का संलग्नक

अनुदान सं0–29
लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत (कमशः)
119–बागवानी और सब्जियों की फसलें (कमशः)
07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास (कमशः)

(सामान्य योजनायें)
(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	योजना / मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	लेखानुदान के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली कुल धनराशि
1	0703–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी			
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	1000	0	1000
2	0707–चौकी भवनों का निर्माण एवं रिनोवेशन			
	09–विद्युत व्यय	100	0	100
	05–लघु निर्माण	2800	0	2800
	29–अनुरक्षण	4600	0	4600
	योग :0707–	**7500**	**0**	**7500**
3	0708–जैविक रेशम विकास			
	02–मजदूरी	200	0	200
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	250	0	250
	26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	150	0	150
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	400	0	400
	44–प्रशिक्षण व्यय	100	0	100
	योग :0708–	**1100**	**0**	**1100**
4	0709–वृक्षारोपण विकास योजना			
	02–मजदूरी	100	0	100
	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	300	0	300
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	400	0	400
	योग :0709–	**800**	**0**	**800**
5	0710–रेशम वस्त्र विकास योजना			
	07–मानदेय	200	0	200
	26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	50	0	50
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	150	0	150
	42–अन्य व्यय	200	0	200
	44–प्रशिक्षण व्यय	100	0	100
	योग :0710–	**700**	**0**	**700**

15/6

6	0711–रेशम प्रशिक्षण योजना			
	08–कार्यालय व्यय	10	0	10
	09–विद्युत देय	10	0	10
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40	0	40
	21–छात्रवृत्तियां एवं छात्र वेतन	40	0	40
	26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयत्र	100	0	100
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	40	0	40
	42–अन्य व्यय	140	0	140
		150	0	150
	योग :0710–	530	0	530
7	0712–उत्तरांचल सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदृढ़ीकरण अनुदान / अंशदान / राज सहायता	1000	0	1000
8	0791–रेशम उत्पादन प्रचार–प्रसार (जिला योजना)			
	02–मजदूरी	2500	0	2500
	08–कार्यालय व्यय	200	0	200
	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	300	0	300
	19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	150	0	100
	26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयत्र	250	0	150
	29–अनुरक्षण	300	0	200
	31–सामग्री और सम्पूर्ति	750	0	731
	योग :0791	4450	0	4181
	योग सामान्य:–	17080	0	16811

(एक करोड़ अड़सठ लाख ग्यारह हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव